न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–142/2017

निर्णय दिनांकः–26.02.2018

उनवान

श्रवण पुत्र कैलाश जाति कुम्हार निवासी सरसडीरामपुरा तह. निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र नानगा जाति कुम्हार निवासी सरसडीरामपुरा तह. निवाई जिला टोंक राज. हॉल निवासी 268/44 सेक्टर 26 प्रताप नगर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.
2. तहसीलदार निवाई
3. उपपंजीयक निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा,
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामकल्याण पूनियां वकील वादी
श्री रमेश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 28/6 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन चाह व ख.नं. 28/7 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा में वादी के पिता कैलाश का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ख.नं. 41/1 रकबा 89 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा में वादी के पिता कैलाश का 1/60 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजीयात वादी के दादा नानगा पुत्र चन्द्रा द्वारा बनायी गयी आराजीयात है। जो कि वादी की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त भूमि में वर्तमान में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः वाद बह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 28/6 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन चाह व ख.नं. 28/7 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा तथा ख.नं. 41/1 रकबा 89 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 2 व 3 बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री रमेश कुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया कि वादी की अधियाचना अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादवर्णित भूमि पैत्रक

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

सम्पति है। अतः वादी का वाद उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। वादवर्णित भूमि ख.नं. 28/6 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन चाह व ख.नं. 28/7 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा तथा ख.नं. 41/1 रकबा 89 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 1/3 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/2/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx321

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

श्रवण पुत्र कैलाश जाति कुम्हार निवासी सरसडीरामपुरा तह. निवाई जिला टोंक राज.

बनाम —वादी

1. कैलाश पुत्र नानगा जाति कुम्हार निवासी सरसडीरामपुरा तह. निवाई जिला टोंक राज. हॉल निवासी 268/44 सेक्टर 26 प्रताप नगर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.
2. तहसीलदार निवाई
3. उपपंजीयक निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा,
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः—142/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर०ए०एस० ब हाजरी श्री रामकल्याण पूनियां वकील वादी व श्री रमेश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। वादवर्णित भूमि ख.नं. 28/6 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन चाह व ख.नं. 28/7 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा तथा ख.नं. 41/1 रकबा 89 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 1/3 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन् 2018 को जारी की गई।

26/2/18

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx322

Scanned by CamScanner